न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या-8/2018

नरेन्द्र पुत्र घनश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी गुढा गोडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

--अपीलान्ट--

---बनाम---

1- नायब तहसीलदार गुढा गोडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

2- प्यार मोहम्मद पुत्र असगरअली जाति लुहार निवासी टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 9-2-2018 द्वारा अति0जिला कलेक्टर, झुन्झुनू ।

--0--

उपस्थिति-

1-श्री मदनसिंह गिल एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री विजयपाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 21.5.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम टोडी की आराजी ख0नं0 711 सरकारी भूमि है । अपील के साथ प्रस्तुत नक्शा में उक्त भूमि ख0नं0 702 व 1373/711 के मध्य 24 वर्ग मीटर भूमि पर सुमेर पुत्र उगमसिंह जाति राजपूत निवासी गुढा गोडजी ने अतिक्रमण कर लिया। जिसे तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपने आदेश दिनांक 29-9-2006 के तहत बेदखल कर दिया । इस आदेश के विरूद्ध सुमेरसिंह ने जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां अपील पेश की जिसे खारिज कर दिया गया । इस आदेश के विरूद्ध सुमेरसिंह ने भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के यहां अपील पेश की तथा निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की जिसमें आगामी पेशी

13-9-2017 है । दिनांक 30-9-2016 को तहसीलदार उदयपुरवाटी ने रेस्पो0 सं0-1 के हक में 61 वर्ग मीटर भूमि का पट्टा जारी किया जिसका अमलदरामद ना तो नक्शा में किश्तवार में किया और ना ही जमाबन्दी में किया । रेस्पो0 ने अपीलान्ट के प्लाट के पीछे पत्थर डालना शुरू किया तो बतया कि उसने उक्त भूमि का तहसीलदार से पट्टा प्राप्त कर लिया है । अपीलान्ट ने तहसीलदार उदयपुरवाटी से उक्त पट्टा बाबत जानकारी के लिये प्रार्थना पत्र भिजवाया । उदयपुरवाटी तहसीलदार ने अपने पत्रांक 23-6-2017 द्वारा प्रार्थी को उक्त पट्टा प्रति तीन नजरी नक्शा एक रिपोर्ट भिजवाई जब प्रार्थी को मालूम चला। जिस पर तहसीलदार के आदेश की नकल के लिये दिनांक 14-7-17 को आवेदन किया जिस पर नकल 19-7-17 को प्राप्त हुई। जिस पर अदालत मातहत में अपील पेश की जिसे अदालत मातहत ने अदालत मातहत में पक्षकार नहीं होने पर धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अपील के साथ नहीं होने पर अपील को खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारोंं पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने प्यार मोहम्मद के हक में 24*37=61 वर्ग मीटर का पट्टा जारी किया है वह गैर मुमकीन बजड में से जारी किया है। गैर मुमकीन बजंड भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार अदालत मातहत को नहीं है । पट्टा के साथ जो नक्शा जारी किया है। उसमें रास्ते के दौनो तरफ आराजी को दिखाया गया है । जिसमें भूमि का नाप दिया गया है किन्तु रास्ते की चौडाई नहीं लिखी है। पट्टा भूमि रास्ता के ऊपर दिखलाई गई । रास्ते की भूमि का किसी भी स्थिति में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता । अदालत मातहत ने पट्टा की पत्रावली के साथ पट्टा जारी करने का निर्णय लिखा है उसमें निर्णय में मु0नं0 व तारीख निर्णय नहीं लिखा है । इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने रेस्पोडेन्ट संख्या-2 को अनुचित लाभ पंहुचाने के लिए अपने पद का दुरूपयोग किया है । बंजड भूमि का पट्टा जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है ।

दिनांक 10-11-2016 में रेस्पोडेन्ट संख्या-2 का कब्जा न मानकर रिपोर्ट पेश की गई थी ।उक्त आराजी राज मार्ग से 40 मीटर की दूरी में आती है जिसका पटटा जारी नहीं किया जा सकता ।बिना मु0नं0 व बिना तारीख निर्णय की पूर्व में अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । दिनांक 19-5-17 को रेस्पोडेन्ट द्वारा रास्ते की भूमि पर पटटा के आधार पर अतिक्रमण करने की धमकी देने पर अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत तहसील से नकल प्राप्त करने के लिये दिनांक 20-5-2017 को आवेदन पत्र पेश किया । जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 23-6-17 को फीस जमा कराने के लिये आदेश दिये । दिनांक 8-7-17 को तहसीलदार जी ने अधूरा रेकार्ड उपलब्ध करवाया । जिसके लिय अपीलान्ट ने दिनांक 14-7-17 को तहसीलदार के आदेश की नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर दिनांक 19-7-17 को नकल उपलब्ध करवाई गई । जिस पर यह नकल तैयार करवाकर जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है ।तहसीलदार ने जिस भूमि का पटटा जारी किया है वह रास्ते एवं अपीलार्थी के प्लाट व वर्तमान सडक के मध्य आम रास्ते की भूमि है। इस आराजी पर पहले सुमेरसिंह ने अतिक्रमण किया जिसके विरूद्व प्रार्थी अपीलान्ट के पिता ने जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां अपील पेश की जिसके विरूद्व सुमेरसिंह ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की है । अपीलान्ट अपने पिता के प्लाट का ही उपयोग कर रहा है ।विद्वान अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू ने मेरी अपील केवल धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र नहीं होने के कारण खारिज कर दी । जबकि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम में एक स्पेशिल अधि-नियम है जिसमें सी0पी0सी के धारा-96 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । अदालत मातहत ने गुणावगुण पर निर्णय न कर केवल कानूनी बिन्दू पर निर्णय किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट के पिता का ख0नं0 702 व 1373/711 के मध्य 24 वर्ग मीटर का प्लाट था । जो अपीलान्ट के पिता के कब्जा में था इस पर पहले सुमेर पुत्र उगमसिंह राजपूत ~~का कब्जा~~ ने अतिक्रमण किया । जिसके विरूद्ध अपीलान्ट के पिता ने जिला कलेक्टर के यहां अपील की जो अपील स्वीकार हो गई । जिसकी निगरानी में सुमेरसिंह माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में चला गया ।इस आराजी की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। इसके बावजूद तहसीलदार ने मेरे प्लाट के पीछे एवं रास्ते की आराजी में रेस्पो0 सं0-2 को पटटा विधि के विपरित जारी कर दिया ।अपीलान्ट को इस बात की जानकारी तब हुई जब उसने आराजी पर पत्थर डालना शुरू कर दिया । तब अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या-2 से कहा तो उसने कहा कि इस आराजी का मुझे पटटा मिला है । तब अपीलान्ट ने जानकारी कर अदालत मातहत में पटटे के विरूद्ध अपील पेश की जिसको अदालत मातहत ने केवल कानूनी बिन्दू पर खारिज कर दिया अपील का गुणावगुण पर कोई निर्णय नहीं किया । केवल धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश नहीं करने पर अपील को खारिज कर दिया जो विधि के विपरित है ।विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस के समर्थन में आरआरटी 2017(1) पेज 415, आरबीजे 2016 पेज 547, आरआरडी 1978 पेज 482,आरआरडी 1995 पेज 179 आरबीजे 1997(4) पेज 466, आरएलआर(1) 1993(एच0सी0) पेज-51,एआईआर(कलकता)(एच0सी0) 1988 पेज-1 पेश कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक बताते हुये कथन किया कि तहसीलदार ने मौके की जांच कर मुझे मेरे कब्जा शुदा भूमि का पटटा जारी किया है। अपीलान्ट की आराजी पर मुझे कोई पटटा नहीं दिया गया है ।अपीलान्ट मुझे पटटा दिया उस आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है । तहसीलदार के यहां अपीलान्ट पक्षकार भी नहीं है ।उसने तहसीलदार के आदेश के विरूद्व विद्वान अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां अपील पेश पेश की अपील के साथ धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जो आवश्यक था अदालत मातहत ने धारा-96 सीपीसी के अभाव में अपीलान्ट की अपिल खारिज की है ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित दिया है । बहस के समर्थन में ए0आई0आर 1962{एस0सी0} पेज 83, एआईआर 1971{एस0सी0}पेज 374, एआईआर 1974{एस0सी0}पेज 964, आरआरडी 1993 पेज 44,232,ए0 आई0आर 1976{एमपी} पेज-136, डीएनजे 2011{1}{एस0सी0} पेज 396 पेश कर अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सं0-2070 से 2073 में आराजी ख0नं0 711 रकबा 0.2825 बंजड दोयम गै0मु0 चबूतरा की खातेदारी सिवायचक गै0मु0 बंजड के नाम दर्ज है । राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 के तहत प्यार मोहम्मद पुत्र असगरअली को तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं ।पटवारी ह.का की रिपोर्ट के अनुसार प्यार मोहम्मद पि0 असगरअली का 0.0049 हैक्टर पर सन् 2001 से लगातार कब्जा बताया है ।तहसीलदार ने क्रमांक दिनांक 30-9-2016 के द्वारा ख0नं0 711 रकबा 0.2331 में से 73 वर्गगज का पटटा जारी किया गया । तहसीलदार उदयपुरवाटी में अपीलान्ट पक्षकार नहीं है और ना ही इस आराजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा साबित है । अपीलान्ट ने इसी आराजी बाबत सुमेरसिंह पुत्र उगमसिंह बनाम घनश्याम शर्मा पुत्र शिवराम प्रकरण अदालत हाजा में विचाराधीन रहा। जिसमें सुमेरसिंह की अपील खारिज होने पर 00 अदालत हाजा के आदेश दिनांक 10-9-2012 के विरूद्व माननीय

राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी विचाराधीन है । यहां पर यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट का पिता इस आराजी के बाबत सुमेरसिंह के विरूद्ध मुकदमे मैं पैरवी की है अथार्त वह इस आराजी के सम्बन्ध में हितबद्ध पक्षकार है । और जब वह हित बद्ध पक्षकार है तो उसे उस सूरत में जब वह अदालत मातहत में पक्षकार नहीं है तो कानूनन धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील पेश करने की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है । जैसा विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने प्रस्तुत नजीरों से स्पष्ट किया है । धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र जहां पर कोई व्यक्ति अदालत मातहत में पक्षकार नहीं है तो उसे धारा-96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ ही अपील पेश करनी होगी । किन्तु अपीलान्ट ने धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र के बिना ही अपील पेश की जिसे अदालत मातहत ने खारिज किया है । अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने जो नजीर पेश की है उनमें अपील बिना धारा-96 पीसीसी के भी पेश करना बताया है किन्तु उनके तथ्य भिन्न है। अपीलान्ट को अपील के साथ धारा-96 सीपीसी प्रार्थना पत्र पेश किया जाना कानूनन आवश्यक था । क्योंकि विवादित आराजी राजकीय भूमि है जिसमें से रेस्पोडेन्ट को पटटा जारी किया गया है । यहापर हस्तगत अपील के साथ अपीलान्ट को धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया जाना आवश्यक था ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक दिया है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।अतः अपीलान्ट की अपील न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 9-2-20018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 21.5.2018 को सुनाया गया ।

21/5/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी